न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—235 / 2021 / 225 आर.टी.एक्ट (2021 / 235)

1. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री घनश्याम वर्मा, जाति मेड स्वर्णकार, निवासी सनातन स्कूल मार्ग, ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री ज्ञान सिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र श्री भवानी सिंह, जाति अहीर निवासी छावनी परेड नया नगर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला अजमेर दिनांक 21.10.2021, वाद संख्या 56 / 2021.

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री एस.पी.औझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—16.08.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, के द्वारा प्रकरण संख्या 56 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ज्ञान सिंह (प्रार्थी)ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ब्यावर खास तहसील ब्यावर में स्थित खाता संख्या पुराना 167 नया 156, खसरा नम्बर 2406, खसरा नम्बर 2407, खसरा नम्बर 2408, खसरा नम्बर 2409 कुल किता 4 कुल रकबा 16—00—10 बीघा के रिकार्डेड खातेदार जमाबंदी वर्ष 2070 से 2073 अनुसार ज्ञान सिंह के खातेदारी कब्जेकाश्त में चली आ रही है जिस पर उसका निरन्तर उपयोग—उपभोग है, प्रार्थना—पत्र में यह वर्णित किया कि उक्त कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण व कृषि सामान ले जाने के लिए वर्तमान में खसरा नम्बर 2491 व खसरा नम्बर 2492 जो कि अपीलांट की खातेदार की भूमि है, व खसरा नम्बर 2493 जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की भूमि है उक्त भूमि में से होकर प्रार्थी की खातेदार की भूमि के सामने से होता हुआ, प्रार्थी अपने उपरोक्त आराजी में करीबन 40—50 वर्षो से आता—जाता है इस प्रकार उसे उक्त रास्ते पर उसे सुखाधिकार हासिल हो चुका है तथा उक्त आराजीयात पर आने—जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 2491, खसरा नम्बर 2492 व खसरा नम्बर 2493में से होकर चला आ रहा है। अप्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उक्त रास्ते से आने–जाने हेतु मना कर दिया और आने–जाने का विरोध कर रहे है जिससे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट उक्त खेतो का उपयोग करने से वंचित हो जायेगा, अप्रार्थी अपीलांट के खेतो में से होकर निकलने वाले रास्ते जिसकी चौड़ाई 30 फीट है, उक्त रास्ते में आने–वाली भूमि का वह डीएलसी प्रीमीयम जमा कराने को तैयार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधान अनुसार वह खेतो के लिए समुचित रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है जिसे दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त समस्त आधारों पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 2491, खसरा नम्बर 2492, खसरा नम्बर 2493 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रास्ते तक दिलाया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में तरमीम किए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी किये गये व आगामी पेशी पर बिना कोई सूचना दिये तहसीलदार, ब्यावर से मौका रिपोर्ट तलब कर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट एक पक्षीय सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 21.08.2020 द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलांट की खातेदार कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2492 रकबा 10 बिस्वा में से पूर्व की ओर से पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2406 की सीता तक 10 फीट चौड़ा व 120 फीट लम्बा रास्ता घोषित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2021 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 21.08.2020 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करें। मान्नीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2021 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया व दर्ज उपरान्त निरन्तर पेशी दी जाती रही, किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट सम्बन्धि कार्यवाही अमल में नही लाई गई, पेशी दिनांक 05.10.2021 को कैम्प प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर स्थान ग्राम पंचायत ब्यावर खास को दिनांक 21.10.2021 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये जाने व राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तहसीलदार से रिपोर्ट लिये जाने का आदेश देते हुए आगामी पेशी दिनांक 21.10.2021 नियत की गई। दिनांक 21.10.2021 को तहसीलदार, ब्यावर मय टीम मौके पर पहुँचे व रास्ते बाबत् जॉच करवाई, सरसरी तौर पर अमल में लाई गई, किन्तु उक्त जॉच कार्यवाही बाबत् सम्पूर्ण तथ्य पत्रावली पर नही लेने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की भूमि में जाने हेतु नियमित रूप से चले आ रहे है रास्ते बाबत् इन्द्राज नही दिखाने तथा रेस्पोडेन्ट ज्ञान सिंह द्वारा अपनी खातेदारी से लगती हुई सिवाय चक भूमि में से रास्ता आने जाने हेतु उपयोग लेने के उपरान्त भी रिपोर्ट में नहीं दिखलाई जाने की स्थिति में अपीलांट उर्मिला द्वारा कैम्प प्रभारी के समक्ष आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की आपत्ति को पूर्णतया दरकिनार कर सरसरी तौर पर तथ्यो से विपरीत जाकर निर्मित मौका रिपोर्ट को आधार पर बनाते हुए, अपने निर्णय दिनांक 21.10.2021 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का प्रार्थना पत्र स्वीकार रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खसरा नम्बर 2406, खसरा नम्बर 2407, खसरा नम्बर 2408, खसरा नम्बर 2409 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2492 रकबा 00–00–10 बिस्वांसी में से पूर्व की ओर से पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2406 की सीमा तक 10 फीट चौड़ा व 120 फीट लम्बा रास्त रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के पूर्व आदेश दिनांक 22.02.2021 में इस निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था कि "तहसीलदार, ब्यावर द्वारा उभय पक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करें।" जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का विधिक दायित्व था कि वह मान्नीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए तहसीलदार, ब्यावर ने दिनांक 21.10.2021 को बिना दोनो पक्षो की उपस्थिति में सरसरी तौर पर मौका देखना कथन करते हुए मौके की स्थिति के विपरीत जाकर आनन–फानन मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति को पूर्णतया दरकिशन करते हुए बिना अपीलांट की बहस सुने दिनांक 21.10.2021 को कैम्प में आदेश पारित कर दिये है, जो विधि सम्मत नहीं है। तहसीलदार,ब्यावर द्वारा निर्मित मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2021 पर आपत्ति प्रकट की गई है कि ज्ञान सिंह द्वारा अपने खातेदारी से लगती हुई सिवायचक भूमि में से रास्ता आने–जाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है, जिसका मौका तहसीलदार, ब्यावर द्वारा सम्पूर्ण टीम के साथ देखा गया व फोटोग्राफी भी करवायी गई, जिसका कोई इन्द्राज मौका रिपोर्ट में नही किया गया अर्थात मौका रिपोर्ट गलत तौर पर निर्मित की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र को विधिवत् निर्णित किया जाना काननून आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को दरकिनार कर सरसरी तौर पर तथाकथित एवं गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया वह विधि विरूद्ध है। आराजी खसरा नम्बर 2492 रकबा 10 बिस्वा का है जिसमें से अपने अवैधानिक आदेश से 10X120 फीट का रास्ता प्रदान किया गया, उक्त रास्ते के पश्चात अपीलांट की भूमि अलग–अलग छोटे–छोटे खण्डो में बंट जाएगी जिसका कोई उपयोग नही हो सकेगा और अपीलांट को घोर आर्थिक व मानसिक क्षति होगी तथा कानून की मंशा के पूर्णतया विपरीत है, कानूनन स्थिति अनुसार किसी को रास्ता दिये जाने की आड़ में सम्पूर्ण भूमि को अनुपयोगी नहीं बनाया जा सकता है। धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते बाबत् आत्यन्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि सुविधाजनक कानूनन स्थिति अनुसार भी मात्र रास्ता सीधा होने अथवा सुविधा की दृष्टि से नया रास्ता नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया जा सकता है साथ ही यदि वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई स्थिति रिकार्ड से स्पष्ट है उक्त स्थिति में धारा 251 ए के तहत् प्रकरण नहीं बनता है, साथ ही यदि किसी सरकारी सिवायचक आराजी में से कोई रास्ता प्रदान किया जा सकता है तो सर्वप्रथम उसे प्राथमिकता देते हुए रास्ता प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक है, चुंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट कभी भी अपीलांट की आराजीयात से होकर मुख्य रास्ते पर नहीं गये एवं ना ही अपीलांट की आराजीयात में से कभी किसी प्रकार का कोई उपयोग रास्ते बाबत् किया है, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मुख्य सड़क से अपनी आराजीयात में आने–जाने हेतु निरन्तर अन्य खसरा नम्बर 2473, 2474, 2472, 2477, 2479, 2418, 2415, 1414 के रास्ते का उपयोग करते रहे है, अपीलांट की आराजीयात में कभी कोई पगदड़ी व वैकल्पिक रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग नहीं किया है जिससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के पास अपनी आराजीयात पर जाने हेतु प्रारम्भ से रास्ता रहा है, उसी रास्ते बाबत् कोई आत्यन्तिक आवश्यक नही है।मान्नीय न्यायालय के अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमा कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,ब्यावर के आदेश दिनांक 21.10.2021 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2019 आर.आर. टी.(1) पेज 403, 2022 डी.एन.जे.(1) पेज 595, 2016 आर.आर.टी.(1) पेज 649(हाई कोर्ट),2014 आर.आर.टी.(1) पेज 40, 2017 आर.आर.टी. (1)पेज 423, 2021 आर.आर.टी.(11)पेज 1286, 1988 आर.आर.डी. पेज 143,1980 आर.आर.डी. पेज 214, ए.आई. आर. 2002 (सुप्रीम कोर्ट)पेज 204 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, ब्यावर की मौका रिपोर्ट अनुसार दिया गया है। तहसीलदार, ब्यावर ने अपनी मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया है कि पटवार हल्का एवं उपस्थित पक्षकार की उपस्थिति में ग्राम ब्यावर खास में खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2406 से 2408 में अप्रार्थी खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 2491, 2492, 2493 में से रास्ता की मौका जॉच की गई। मौके पर जॉच करने पर पाया कि वर्तमान में प्रार्थी ज्ञानसिंह की खातेदारी में आने–जाने के लिए रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र लक्ष्मीनारायण वर्मा ने अवगत कराया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पीछे रास्ता उपलब्ध है। जिसकी संयुक्त जॉच करने पर पाया कि टॉक फार्म का गेट लगा हुआ है, मौके पर रास्ता नही है। अभिभाषक अपीलांट की आपत्ति की उनको सुना नहीं गया गलत है आदेशिका दिनांक 21.10.2021 के अनुसार अपीलांट का पुत्र स्वयं मौके पर उपस्थित था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है क्योंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट वाकै ग्राम ब्यावर खास के आराजी खाता संख्या पुराना 167 नया 156 के खसरा नम्बर 2406, 2407, 2408, 2409 कुल किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वांसी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी आराजियात में आने–जाने तथा कृषि यंत्र इत्यादि लाने–जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2491 व 2492 तथा खसरा नम्बर 2493 जो कि अप्रार्थी/अपीलांट की भूमि है का उपयोग–उपभोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपने पूवजो के समय से करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट की आराजियात में आवागमन हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही की जाकर, तहसीलदार,ब्यावर स्वयं से मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने एवं लघुतम रास्ता होने के तथा वैकल्पिक साधन का अभाव तथा सुविधा जनक रास्ते का अभाव के बिन्दुओ का विवेचना करतें हुए तैयार की गई है। प्रकरण में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा विधिवत रूप से मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट को सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् विधि सम्मत आदेश पारित किये है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार पर चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 56/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर